ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम,1980
(1980 का 46)
के
अधीन पूरक विधान

(पहली फरवरी,1984 तक यथा संशोधित)

(अधिनियम पृथक भाग के रूप में प्रकाशित)

भारत सरकार
सिंचाई मंत्रालय

1

ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम,1980
(1980 का 46)

अधिनियम के परिचालन की तिथि

स का नि 677(अ) 28दिसंबर,1981- केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980
का 46) की धारा 1 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 31 दिसंबर,1981 को
उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा -

(सिंचाई मंत्रालय सं. 1/81- बी
सी)

(भारत का राजपत्र, विशेष, 1981, भाग-।। धारा-3(I) पृ.1960)

<u>ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना</u>

1. *एस ओ 926 (अ) 28 दिसंबर, 1981*- ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की
धारा 4 की उप धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 31 दिसंबर, 1981 से
ब्रह्मपुत्र बोर्ड नामक एक बोर्ड की स्थापना करती है । बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात -

खण्ड (क) की धारा 4 की उप धारा (3) के अधीन नियुक्त

श्री ए.एन. मल्होत्रा वर्तमान प्रमुख इंजीनियर, हरियाणा	अध्यक्ष
श्री एच. गोहीन,/वर्तमान सचिव बाढ़ नियंत्रण विभाग, असम सरकार	उपाध्यक्ष

खण्ड (ख) की धारा 4 की उप धारा (3) के अधीन नियुक्त

श्री एस.एन. फुकन वर्तमान मुख्य इंजीनियर, असम राज्य विद्युत बोर्ड	महा प्रबंधक

खण्ड (ग) की धारा 4 की उप धारा (3) के अधीन नियुक्त

सचिव, बाढ़ नियंत्रण विभाग असम सरकार	असम सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य

ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम,1980 के अधीन

श्री एच.इ. रॉय मुख्य इंजीनियर, पी डब्ल्यू विभाग मेघालय सरकार	मेघालय सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
श्री आर. केविचूसा संयुक्त निदेशक कृषि इंजीनियर, नागालैण्ड सरकार	नागालैण्ड सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
श्री एल. गौरचंद्र शर्मा अपर मुख्य इंजीनियर, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, मणिपुर सरकार	मणिपुर सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
श्री एस.के. राय मुख्य इंजीनियर और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, त्रिपुरा सरकार	त्रिपुरा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
श्री टी. रिंगु आयुक्त और सचिव इंजीनियर , अरूणाचल प्रदेश सरकार	संघ राज्य क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
श्री एच.एन. सचदेवा, मुख्य इंजीनियर, लोकनिर्माण विभाग, मिजोरम	मिजोरम सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
श्री बी.डी. शर्मा योजना सलाहकार पूर्वोत्तर परिषद	पूर्वोत्तर परिषद का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य

खण्ड (घ) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त

संयुक्त सचिव (वन और भूमि संरक्षण) कृषि मंत्रालय	कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य

संयुक्त सचिव (सिंधु) सिंचाई मंत्रालय	सिंचाई मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
वित्तीय सलाहकार वित्त मंत्रालय	वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
श्री ए.एन.सिंह सदस्य (एच ई) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और पदेन अपर सचिव ऊर्जा मंत्रालय	ऊर्जा मंत्रालय बिजली विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
श्री ए. अनन्थकृष्णन मुख्य इंजीनियर और प्रशासक अ० ज० प० निदेशालय नौवहन और परिवहन मंत्रालय	नौवहन और परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य

खण्ड (घ) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त

सदस्य (बाढ़) केन्द्रीय जल आयोग	केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
श्री जी.एन. राव मुख्य इंजीनियर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
निदेशक अभियांत्रिकी इंजीनियरी भू-विज्ञान प्रभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नौंग्रिम हिल्स, शिलंग	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
डॉ० पी.के. दास, महानिदेशक, मौसमविज्ञान	भारतीय मौसमविज्ञान विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य

(सिंचाई मंत्रालय सं. 1.81-बी.सी)

(भारत का राजपत्र, विशेष, 1981 भाग-।। धारा 3(i) पृष्ठ 1600)

अधिनियम के प्रयोजन के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी की सीमारेखा का सीमांकन

का०आ० 1926- दिनांक 28 अप्रैल, 1962- केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्रह्मपुत्र घाटी की सीमाओं का अधिनियम के प्रयोजन के लिए इससे उपाबद्ध नक्शे में दिए रूप में सीमांकन करती है -

(सिंचाई मंत्रालय फा.सं. 2/81-बी.सी)

(भारत का राजपत्र ,1982, भाग-II, धारा 3(ii)पृ० 2114)

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की शक्तियों और कार्यकलापों का विनिर्देश

स.का.नि. 497(अ) तिथि 7 जुलाई,1982 - केन्द्रीय सरकार , ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात यह विनिर्दिष्ट करती है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड उक्त अधिनियम के अधीन अपने सभी कृत्यों का पालन और अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग ब्रह्मपुत्र घाटी के उन सभी क्षेत्रों में करेगा , जिनकी सीमाएँ इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० का. आ 1926 तारीख 28 अप्रैल, 1982 के अधीन निर्धारित की गई हैं ।

(सिंचाई मंत्रालय फा.सं. 30/14/82-एफ. सी)

(भारत का राजपत्र , असाधरण ,1982, भाग-II, धारा 3(i) सं० 217)

(भारत का राजपत्र 1982 भाग-।। धारा 3(i)पृष्ठ 217)

ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली,1981

स.का.नि. 676 (अ) - केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1981 (1980 का 46) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. ***संक्षिप्त नाम और प्रारंभ*** : - (I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियम, 1981 है ।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ***परिभाषा :*** इन नियमावलियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) 'अधिनियम' से ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) अभिप्रेत है ।

(ख) 'नर्थ इस्टर्न काउंसिल' से पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 3 के अधीन गठित परिषद अभिप्रेत है ।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमावलियों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. ***बोर्ड का कार्यालय*** - I) बोर्ड का कार्यालय गुवाहाटी, असम में अवस्थित होगा ।

2) बोर्ड नई दिल्ली में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करेगा ।

4. ***बोर्ड की बैठक*** - (I) बोर्ड सामान्यत : वर्ष में 2 बार बैठकों का आयोजन करेगा ।

परंतु किसी जरूरी स्थिति में अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय बोर्ड की एक विशेष बैठक बुलायी जा सकेगी ।

(2) बोर्ड की बैठक का तय अध्यक्ष के आदेश के अधीन सचिव द्वारा किया जाएगा ।

(3) सामान्यत : बैठक की तिथि, समय व स्थान की सूचना सभी बोर्ड सदस्यों को बैठक की नियत तारीख की 21 दिन पहले दी जाएगी और विशेष बैठक के संदर्भ में सूचना 10 पूर्ण कार्य-दिवस से पहले दी जाएगी ।

5. ***कार्यसूची*** - (I) अध्यक्ष के आदेशों के तहत, सचिव द्वारा बैठक में विचारार्थ कार्यसूची-मद और प्रत्येक मद की विशेष व्याख्यात्मक टिप्पणी तैयार करके सभी सदस्यों को सामान्य बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व और विशेष बैठक में कम से कम सात पूर्ण-कार्य दिवस से पूर्व परिपत्रित किया जाएगा ।

(2) ऐसे किसी कारबार का, जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है, अध्यक्ष के अनुज्ञा के बिना संव्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(3) किसी परियोजना की मास्टर योजना की तैयारी की या बोर्ड की निष्पादन के अधीन स्कीम की प्रगति का पुनर्विलोकन बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यसूची की एक मद होगी ।

6. ***बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता*** - बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

यदि अध्यक्ष के आदेश सम्यक रूप से बुलाए गए बोर्ड के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता, किसी कारणवश, अध्यक्ष नहीं कर सकता है तो अधिवेशन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

7. **गणपूर्ति** -(I) बोर्ड की किसी भी अधिवेशन में ग्यारह सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

(2) यदि गणपूर्ति, नहीं हो पाती है तो अध्यक्ष किसी अधिवेशन को रद्द कर या स्थगित कर सकता है और बोर्ड के ऐसी स्थगित अधिवेशन की सूचना बोर्ड के प्रत्येक सदस्य पर, सामान्य अधिवेशन की दशा में कम से कम पंद्रह पूर्ण दिन पूर्व और विशेष अधिवेशन के लिए नियत दिन से सात दिन पूर्व तामिल की जाएगी ।

(3) सूचना बोर्ड के किसी सदस्य पर तब तामील की गई समझी जाएगी जब वह उस पर व्यक्तिगत रूप से तामील की जाती है या उसके शासकीय पत्ते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेज दी जाती है ।

8. ***अधिवेशन की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त*** **:** (1) सचिव प्रत्येक अधिवेशन का कार्यवाही के कार्यवृत्त तैयार करेगा ।

(2) अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन हो जाने के पश्चात, सचिव, बोर्ड के विनिश्चय की सूचना, सदस्यों, असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य सरकारों, अरूणाचल प्रदेश और मेघालय तथा पूर्वोत्तर परिषद् केन्द्रीय सरकार और बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन गठित स्थायी समिति के अध्यक्ष को देगा ।

9. ***बोर्ड का निर्णय*** - बोर्ड के विनिश्चय बोर्ड के किसी अधिवेशन के समक्ष लाए गए सभी मामले, बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दिशा में, अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णय मत होगा :

परन्तु जहां बोर्ड के समक्ष लाए गए किसी मामले के प्रतिनिर्देश से, अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि नीति के किसी प्रश्न पर या असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम की सरकारों में से किसी के अधिकार पर सदस्यों की राय में मतभेद है तो अध्यक्ष वह मामला केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगा जिसका उस पर विनिश्चय-अन्तिम होगा ।

परन्तु यह और कि यदि वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला बोर्ड का सदस्य, बोर्ड के समक्ष लाए

गए, किसी वित्तीय मामले के प्रतिनिर्देश से प्रस्ताव के विषय में कोई आपति करता है तो अध्यक्ष उस मामलें को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगा, जिसका उसपर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

स्पष्टीकरण 1 : यदि बोर्ड के किसी अधिवेशन में कोई सदस्य यह प्रश्न उठाता है कि कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नही अथवा बोर्ड के विचाराधीन किसी मामले में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम की सरकारों में से किसी एक या अधिक सरकारों का कोई अधिकार अन्तर्वलित है या नहीं, तो इस प्रकार उठाए गए प्रश्नों पर अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाएगा ।

<u>स्पष्टीकरण-2</u> : जब काई सदस्य अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार किए गए किसी विनिश्यय से विसम्मत होता हे तो वह राज्य सरकार, जिसका वह सदस्य प्रतिनिधित्व करता है, अध्यक्ष की मार्फत केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन कर सकती है और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

10. ***शक्तियों का प्रत्यायोजन*** **:** बोर्ड, महा प्रबंधक को ऐसी शक्तियों प्रत्यायोजित कर सकता है जो वह आवश्यक समझे ।

11. ***कार्यालय-सदस्यों की पदावधि*** - (1) धारा 24 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

परन्तु उनके नियोजन की अपनी अपनी अवधि के अवसान होने पर भी, ऐसे सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके उत्तरवर्तियों की नियुक्ति नहीं हो जाती है ।

(2) अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,महा प्रबंधक या वित्तीय सलाहकार, अपने हस्तलेख में केन्द्रीय सरकार को संबंधित कम से कम तीन मास की सूचना देने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए अपना पद त्याग कर सकता है जो उस तारीख से प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार अवधारित करे ।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महा प्रबंधक और वित्तीय सलाहकार ऐसा वेतन लेंगे जो केन्द्रीय सरकार प्रत्येक मामले में अवधारित करे । वे ऐसे यात्रा-भत्ते और मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे, जो बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अवधारित करे । उनके सेवा अन्य निबंधन और शर्तें, यदि से सरकारी सेवक हैं तो वे होंगी जो तत्समान प्रास्थिति के केन्द्रीय सरकार के सेवकों को लागू होंगे ।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महा प्रबंधक और वित्तीय सलाहकार ऐसे भत्ते, छुट्टी और छुट्टी वेतन और सरकारी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते छुट्टी-यात्रा. रियायतें, चिकित्सीय फायदों आदि के हकदार होंगे, जो तत्समान प्रास्थिति के केन्द्रीय सरकार सेवकों को समय-समाय पर लागू हों ।

5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महा प्रबंधक और वित्तीय सलाहकार की पेंशन और छुट्टी वेतन अभिदाय का, यदि वे बोर्ड में प्रतिनियुक्त पर हैं तो, संदाय बोर्ड द्वारा क्रमशः राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार या अन्य उधार देने वाले प्राधिकरणों को किया जाएगा ।

6) वह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महा प्रबंधक और वित्तीय सलाहकार जो सरकारी सेवक नहीं हैं बोर्ड की अंभिदायी भविष्यनिधि के फायदे के हकदार होंगे ।

परन्तु बोर्ड की अंशदायी भविष्यनिधि के फायदे ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञेय नहीं होंगे जो पुनः नियोजित किए गए हैं और सरकार से पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि के रूप में कई सेवानिवृत्ति फायदा पा रहे हैं । फिर भी, उन्हें, अभिदायी भविष्य निधि में सम्मिलित होने और उसमें अभिदान करने की अनुज्ञा दी जा सकती हैं किन्तु वे बोर्ड से अभिदाय के लिए पात्र नहीं होंगे ।

12. ***अध्यक्ष की शक्तियाँ और उसके कर्तव्य*** - अध्यक्ष, बोर्ड का सर्व कार्यभार साधक होगा और उसके दक्ष कार्यकरण के लिए जिम्मेदार होगा । इसके अतिरिक्त, वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे बोर्ड प्रत्यायोजित करे ।

13. ***उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और उसके कर्तव्य***- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा । यह अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे अध्यक्ष प्रत्यायोजित करे और ऐसे अन्य कृत्यों को भी करेगा जो अध्यक्ष विनिश्चित करे ।

14. ***महा प्रबंधक के कृत्य और कर्तव्यः*** (1) महा प्रबंधक, बोर्ड के मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के कार्यों के उचित प्रशासन के लिये जिम्मेदार होगा । वह बोर्ड के ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के जो उसके अधीनस्थ हैं, कर्तव्य विहित और समुनुदेशित करेगा और ऐसा पर्यवेक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा जो आवश्यक हो और बोर्ड के अधीन विभिन्न एककों के क्रिया-कलापों का समन्वय करेगा ।

(2) महा प्रबंधक, अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करेगा जो अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे और जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जायें ।

(3) महा प्रबंधक ऐसे शक्तियों और कर्तव्यों का भी प्रयोग और निर्वहन भी करेगा जो बजट और अनुदानों के आबंटन और पुनर्विनियोजन विषयक मामलों में इसमें इसके पश्चात् नियम - 16 के अधीन विहित किये जायें ।

15. ***<u>वित्तीय सलाहकार के कृत्य और कर्तव्य</u>*** (1) वित्तीय सलाहकार बोर्ड के प्रशासनिक नियत्रंण के अधीन होगा ।

(2) वित्तीय सलाहकार राजस्व और व्यय से संबंधित सभी मामलों पर बोर्ड को सलाह होगा । उसे किसी ऐसे मामले को बोर्ड का निर्दिष्ट करने की भी शक्ति होगी जो उसकी राय में बोर्ड की जानकारी में लाया जाना चाहिए ।

(3) वित्तीय सलाहकार, बोर्ड के लेखाओं को बनाये रखने और उन लेखाओं की आन्तरिक संपरीक्षा के लिये भी जिम्मेदार होगा ।

(4) वित्तीय सलाहकार ऐसे शक्तियों और ऐसे कर्तव्यों का भी प्रयोग और निर्वहन करेगा जो बजट विषयक मामलों में, उसमें इसके पश्चात् नियम 16 के अधीन विहित किये गये हैं ।

16. ***<u>बजट</u>*** : (1) बोर्ड प्रति वर्ष प्राक्कलित व्यय दर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और चालू वित्तीय वर्ष के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करेगा और उसे प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर, तक केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । पुनरीक्षित बजट, जब मंजूर कर दिया जाये तब वह मूल बजट को अधिक्रांत कर देगा और उस वर्ष के लिये मंजूर किया गया बजट समझा जायेगा ।

(2) कोई भी व्यय तब तक नहीं उपगत किया जायेगा जब तक कि बजट केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर नहीं कर दिया जाता है और व्यय के लिये सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त नहीं हो गई है ।

(3) बजट ऐसे अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जायेगा जो समय-समय पर जारी किये जायें और ऐसे प्रारूप में होगा जो केन्द्रीय सरकार निर्देश दें । बजट विवरण में निम्नलिखित मदें होंगे -

(i) प्राक्कलित आदि अतिशेष ;
(ii) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राक्कलित प्राप्तियाँ ; और
(iii) निम्नलिखित शीर्षों और उपशीर्षों में, जैसा कि केन्द्रीय सरकार निर्देश दे, वर्गीकृत प्राक्कलित व्यय, अर्थात्

शीर्ष -

क) प्रशासन,
ख) सर्वेक्षण तथा अन्वेषण और महायोजना तैयार करना ;
ग) जल-विज्ञान संबंधी डाटा और अन्य आँकड़ों का संकलन ;
घ) बहु-उद्देश्यीय नदी परियोजनाएँ - सन्निमणि ;
ङ) बहु-उद्देश्यीय नदी परियोजनाएँ -प्रवर्तन और अनुरक्षण ;
च) अन्य कोई संकर्म जो बोर्ड, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन प्रारम्भ करें ;
छ) अन्य क्रियाकलाप ;

उप-शीर्ष -

क) वेतन ;
ख) मजदूरी ;

ग) यात्रा व्यय ;
घ) कार्यालयी व्यय ;
ङ) वृत्तिक और विशेष सेवाओं के लिए संदाय ;
च) किराया, और कर ;
छ) प्रकाशन ;
ज) प्रमुख संकर्म ;
झ) लघु संकर्म ;
स) मशीनरी और उपस्कर ;
ट) अनुरक्षण ;
ठ) उंचत, और
ड) अन्य प्रभार ।

(4) व्यय का अनुपूरक, प्राक्कलन, यदि कोई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीखों पर भेजा जायेगा जो वह इस निमित्त निर्देश दे । ।

(5) महा प्रबंधक, वित्तीय सलाहकार के परामर्श से बोर्ड के सभी एककों के लिए बजट प्रस्ताव तैयार करेगा । महा प्रबंधक द्वारा इस प्रकार तैयार किये गये बजट प्रस्ताव, उन प्रस्तावों पर वित्तीय सलाहकार की टीका टिप्पणी, यदि कोई है, महाप्रबंधक द्वारा दिये गये उनके उत्तरों सहित, बोर्ड के सचिव के समक्ष उसके अनुमोदनार्थ रखे जायेंगे ।

17. ***<u>लेखा</u>*** - (1) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बोर्ड को अभिदाय, अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (I) के अधीन सर्जित ब्रह्मपुत्र बोर्ड निधि में जमा किया जायेगा और और बोर्ड के व्यय की उक्त निधि से पूर्ति की जायेगी ।

(2) बोर्ड और उसके विभिन्न एककों द्वारा लेखा रखने के प्ररूप वित्तीय सलाहकार द्वारा तैयार किय जायेंगे और वे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे ।

(3) बोर्ड के लेखा वर्गीकरण के साधारण सिद्धांतों के अनुसार रखे जायेंगे, जैसे वे सरकारी संव्यवहारों को लागू होते हैं । बोर्ड प्रत्येक वर्ष से संबंधित सभी प्राप्तियाँ और व्यय का लेखा रखेगा और अभिलेख इस प्रकार रखेगा कि वार्षिक प्राप्ति और संदाय लेखा, आय और व्यय लेखा तथा तुलनपत्र तैयार किये जा सकें । ये लेखे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे ।

(4) बोर्ड के वार्षिक लेखे और अधिनियम की धारा 22 में यथा उपबंधित उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट सहित संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखे जाने के लिये वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर केन्द्रीय सरकार को भेजे जायेंगे ।

18. ***<u>वार्षिक रिपोर्ट</u>*** - (1) बोर्ड, वित्तीय वर्ष के अन्त में छह मास के भीतर, अपने वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखे जाने के लिये केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा ।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बोर्ड के क्रिया-कलापों का पूरा विवरण दिया जायेगा और उसमें वर्ष का संपरीक्षित लेखा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की उस पर रिपोर्ट भी होगी और बोर्ड उसके प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा । केन्द्रीय सरकार उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाने के ठीक पश्चात् केन्द्रीय सरकार तथा असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, पूर्वोत्तर परिषद को उपलब्ध करायी जाएगी ।

रिपोर्ट 1[(4) इन नियमावलियों के साथ संलग्न अनुलग्नक 'क' में दिए गए प्रपत्र पर उक्त वार्षिक को तैयार किया जाएगा ।]

19. ***<u>प्रवेश करने की शक्ति</u>*** : बोर्ड के ओवरसीयर/ कनिष्ठ अभियंता इंजीनियर का प्रास्थिति से अन्यून प्रास्थिति का कोई अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त साधारण रूप से या विशेष रूप से या विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे कार्य कर सकेगा जो वह अपने किसी कार्य को विधिपूर्वक पूरा करने के या शक्तियों के प्रयोग से संबंधित प्रारम्भिक या अनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या अन्वेषण करने के या इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा कृत्यों के अनुपालन के प्रयोजन के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक समझे :

परन्तु ऐसा कोई अधिकारी किसी भवन में या किसी अहाते में या किसी निवासगृह से संलग्न किसी भाग में तब तक प्रवेश नहीं करेगा । जब तक कि उसने अपने ऐसा करने के आशय की लिखित में सूचना उसके अधिभोगी को कम से कम सात दिन पूर्व देकर ऐसे अधिभोगी की सहमति न प्राप्त कर ली हो ।

(3) उप नियम (1) के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के पश्चात केन्द्रीय सरकार विवाद को एक स्वतः पूर्ण टिप्पण के द्वारा मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सूचनाएं अन्तर्विष्ट होंगी -

(क) विवाद के पक्षकार

(ख) विवादग्रस्त विनिर्दिष्ट बात या बातें पूरे ब्यौरे के साथ

(ग) विवाद के संबंधित या सुसंगत कोई अन्य बात

(घ) ऐसे प्रयत्न, यदि कोई हो, जो विवादग्रस्त बात (बातों) के समाधान के लिए विवाद के पक्षकारों द्वारा स्वतः या नियम 3 और नियम 4 के अधीन बातचीत और या समझौता के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वार किए गए हों, और

(ङ) विवादग्रस्त बात या बातों के सबंध में व्यक्ति पक्षकार/ पक्षकारों के विचार ।

(सं 30/12/82-ए सी)

लक्ष्मी चन्द, संयुक्त सचिव

++++++++++++++

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART-II - SEC. 3 SUB. SEC. (i)
Appearing on Page No. 735-736
Dated 12-4-86

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

नई दिल्ली,17 मार्च,1986

सा.का.नि. 278 - ब्रह्मपुत्र बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, (1980 का 46) की धारा 4 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- इन नियमों का संक्षिप्त नाम ब्रह्मपुत्र बोर्ड (बोर्ड को सहायता या सलाह देने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन या उसके प्रतिनिधियों का संयोजन) विनियम,1986 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं : (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से ब्रह्मपुत्र अधिनियम, 1980 (1980 का 46) अभिप्रेत है ;

(ख) "विनियम" से अधिनियम की धारा 29 के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; और

(घ) "सचिव" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ।

2. उन सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है वही अर्थ है जो अधिनियम में हैं ।

3. व्यक्ति या संगठन का संयोजन : बोर्ड, किसी व्यक्ति या विशेषज्ञ या किसी संगठन या अभिकरण या उसके प्रतिनिधियों, जैसे, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारतीय सर्वेक्षण, केन्द्रीय जल और विद्युत शक्ति अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र,पर्यावरण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या ऐसे ही अन्य सरकारी निकायों और/ या किसी शाखा के किसी अन्य अभिकरण, जैसे नदी यांत्रिकी और नदी आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, मौसम विज्ञान, नौकायन जल विद्युत शक्ति उत्पादन, विद्युत शक्ति पारेषण, सामाजिक अर्थशास्त्र, भूगर्भविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान, दूरस्थ संवेदन आदि और वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रबंध आदि को सहयुक्त करेगा या उससे तब सलाह करेगा जब ऐसे विषयों के, जो अधिनियम के अधीन बोर्ड को समानुदेषित दायित्यों और कृत्यों के निष्पादन को आरम्भ करने, त्वरित करने या सुधारने में योगदान करेंगे, अध्ययण या परीक्षण करने या सलाह देने के लिए किसी व्यक्ति या किसी संगठन या उसके प्रतिनिधियों का भाग लेना आवश्यक समझा जाए ।

4. अनुज्ञा के लिए निवेदन :- जहां अध्यक्ष ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन या उसके प्रतिनिधि के सहयुक्त होने की आवश्यकता का अनुमोदन कर देता है तो, सचिव, संगठन के प्रधान को बोर्ड के कार्य से सहमत होने के लिए संगठन के प्रतिनिधि को अनुज्ञा के लिए आशय का लिखित में निवेदन करेगा ।

5. भाग लेने की शर्तें : ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन या उसके प्रतिनिधि को, यदि आवश्यक हो तो, बोर्ड की बैठक में तब आमंत्रित किया जा सकेगा जब उस प्रयोजन से जिसके लिए उसका सहयोग वांछित है सुसंगत विनिर्दिष्ट मद पर बोर्ड विचार-विमर्श कर रहा है और ऐसा व्यक्ति केवल सुसंगत मद पर विचार विमर्श में भाग लेने के सीमित विस्तार तक ही सहयुक्त होने का हकदार होगा और मत देने का हकदार नहीं होगा ।

6. पारिश्रमिक या भत्ते : ऐसा व्यक्ति या संगठन या उसका प्रतिनिधि ऐसे पारिश्रमिक या भत्तें का हकदार होगा जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करें ।

सं. 30/11/82- एफ.सी.
के.यू. तीर्थानी, उप सचिव

EXTRACT FROM THE GAZETTEE OF INDIA, PART-II - SEC. 3 SUB. 3 SEC - (I)
Appearing on Page No. 264 - 265
Dated : 28-1-1990
जल संसाधन मंत्रालय
MINISTRY OF WATER RESOURCES

अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 अक्तूबर,1988

सा.का.नि. 58- केन्द्रीय सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980 (1980 का 46) की धारा 23 के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. इन नियम का संक्षिप्त नाम ब्रह्मपुत्र बोर्ड (राज्यों के साथ विवादों का सुझाव) नियम, 1988 है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :-

1. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(क) "अधिनियम" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 4) अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित ब्रह्मपुत्र बोर्ड अभिप्रेत है

(ग) "विवाद" से ऐसा विवाद अभिप्रेत है, जो बोर्ड और किसी राज्य सरकार के बीच अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में उत्पन्न हो या उत्पन्न हो गया हो ;

(घ) "विवाद के पक्षकार" से बोर्ड और ऐसे एक या अधिक राज्य सरकारें अभिप्रेत हैं, जिनके साथ विवाद उत्पन्न हो गया है ।

2. ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों के जिनका प्रयोग किया गया है और परिभाषित नहीं किए गए है किन्तु अधिनियम में जिन्हें परिभाषित किया गया है, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किए गए हैं ।

3. बातचीत द्वारा विवादों का सुलझाया जाना :

किसी विवाद के संबंध में निर्देश प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार (रों) के प्रतिनिधियों और/ या अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष ब्रह्मपुत्र बोर्ड की एक बैठक बुलाएंगे और बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने का प्रयत्न करेंगे ।

4. सुलह द्वारा विवादों का सुलझाना :

(1) केन्द्रीय सरकार विवाद की सुलह के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग को निर्दिष्ट कर सकेंगे, जो विवाद में सुलह कराने का प्रयत्न करेगा और ऐसे कदम उठाएगा, जिन्हें वह विवाद के पक्षकारों के किसी समझौते पर पहुंचने के योग्य बनाने के प्रयोजनों के लिए उचित समझे ।

(2) सुलह कराने वाला, उससे समनुदेशित किए गए कार्य को पहली बैठक की तारीख से छह मास के भीतर पूरा करेगा, किन्तु केन्द्रीय सरकार छह मास की अवधि तक समय का समुचित विस्तार मंजूर कर सकेगी यदि इस नियमित अनुरोध या तो सुलह कराने वाले द्वारा या विवाद के पक्षकारों में से किसी के द्वारा किया जाता है ।

5. मध्यस्थ नियुक्त करके विवादों का सुलझाया जाना :

(1) नियम 3 या नियम 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि केन्द्रीय सरकार विवाद की बातचीत या समझौते के द्वारा सुलझाने के लिए कार्यवाही आरम्भ करने से चाहे पहले या ऐसी कार्यवाही आरम्भ करने के पश्चात किसी प्रक्रम पर ऐसा समझाते है कि विवाद इस किस्म का है कि इसे माध्यस्थम को निर्दिष्ट करना आवश्यक या समीचीन है तो वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अधिनियम की धारा 23की उपधारा (3) के अधीन विवाद के निपटारे के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध करेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अवधारित की जाए ।

(3) उप नियम (1) के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के पश्चात केन्द्रीय सरकार विवाद को एक स्वतः पूर्ण टिप्पण के द्वारा मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सूचनाएं अन्तर्विष्ट होंगी -

(क) विवाद के पक्षकार

(ख) विवादग्रस्त विनिर्दिष्ट बात या बातें पूरे ब्यौरे के साथ

(ग) विवाद के संबंधित या सुसंगत कोई अन्य बात

(घ) ऐसे प्रयत्न, यदि कोई हो, जो विवादग्रस्त बात (बातों) के समाधान के लिए विवाद के पक्षकारों द्वारा स्वतः या नियम 3 और नियम 4 के अधीन बातचीत और या समझौता के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वार किए गए हों, और

(ङ) विवादग्रस्त बात या बातों के सबंध में व्यक्ति पक्षकार/ पक्षकारों के विचार ।

(सं 30/12/82-ए सी)
लक्ष्मी चन्द, संयुक्त सचिव

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART - II - SEC. 3 SUB. SEC - (i)
Appearing on Page No. 433-439
Dated 21-3-1992
जल संसाधन मंत्रालय
MINISTRY OF WATER RESOURCES

(पूर्वी नदियाँ विंग)
नई दिल्ली, 6 मार्च,1992

सा.का.नि. 143- ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम,1980 (1980 का 46) की धारा 28 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली, 1981 में और आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन नियमों को ब्रह्मपुत्र बोर्ड - (संशोधन) नियमावली, 1992 कहा जाएगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 16 उपनियम (3) के खण्ड (iii) में "उपशीर्ष" शीर्षक अन्तर्गत प्रविष्टियों की निम्नलिखित प्रविष्टियों द्वारा स्थानित किया जाएगा अर्थात :-

क. वेतन
ख. मजदूरी
ग. अंशदायी भविष्यनिधि में अंशदान
घ. यात्रा व्यय
ङ चिकित्सा व्यय
च. किराया, महसूल और कर
छ. कार्यालय व्यय
ज. व्यावसायिक और विशिष्ट सेवाओं के लिए भुगतान
झ. प्रकाशन
ञ. प्रशिक्षण
ट. पेंशन/उपदान
ठ. ऋण एवं अग्रिम
ङ अनुरक्षण
ढ. भूमि
त. मशीनरी तथा उपस्कर
थ. मोटर वाहन
ध. निर्माण
व. संशय
न. मूल्यह्रास
प. अन्य व्यय

(सं. 23/25/91जे.आर.सी. - ई.आर.)
हरभगवान खेटवाणी, अवर सचिव

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART - II - SEC. 3 SUB. SEC - (i)
Appearing on Page No. 1740
Dated 24-10-92
जल संसाधन मंत्रालय
MINISTRY OF WATER RESOURCES

(ई.आर. पक्ष)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 सितम्बर,1992

सा.का.नि. 476- केन्द्रीय सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम,1980 (1980 का 46) की धारा 28 की उपधारा (1)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियम,1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ब्रह्मपुत्र बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 1992 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियम 1981 में, नियम 7 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात :- (1) "बोर्ड की किसी बैठक की गणपूर्ति ऐसे आठ सदस्यों से मिलकर होगी जिसमें कम से कम एक प्रतिनिधि जल संसाधन मंत्रालय का और दो प्रतिनिधि किन्हीं सदस्य-राज्यों में से होंगे । "

[सं. 23/17/19 - जे आर सी /ई आर/1639]
हरभगवान खेटवानी, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम, सा.से. नियम सं. 677 (स्था) तारीख 28-12-1981 में प्रकाशित किए गए में और तदुपरान्त इन्हें समय-समय पर संशोधित भी किया गया है । उक्त नियमों में अन्तिम बार सा.से. नियम सं. 143 तारीख 6-3-1992 द्वारा संशोधित किया गया है ।

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART - II SEC. 3 SUB. SEC. (i)
Appearing on Page No. 1972-1973
Dated 20-11-1993
जल संसाधन मंत्रालय
MINISTRY OF WATER RESOURCES

(ई.आर. विंग)

नई दिल्ल, 2 नवम्बर,1993

अधिसूचना

सा.का.नि. 565- ब्रह्मपुत्र बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियम,1981 के नियम 10 नियम 14 और नियम 16 के साथ पठित ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ब्रह्मपुत्र बोर्ड (महा प्रबंधक की शक्तियां और कर्तव्य) विनियम, 1993 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा :

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) अभिप्रेत है ।

(ख) "अध्यक्ष" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

महा प्रबंधक के उत्तरदायित्व :-

महा प्रबंधक, -

(1) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साधारण प्रशासन के लिए अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायित्व होगा ;

(2) अधिनियम के अधीन धन संवितरण, राजस्व प्राप्ति, भंडार अभिरक्षा, लेखा रखने और उन्हें नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में बनाए गए नियमों को प्रवर्तित कराने में लेखपपरिक्षा अधिकारियों की मदद और सहायता करेगा ;

(3) बोर्ड के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, बोर्ड के उन सभी क्रियाकलापों का, जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाएं साधारण पर्यवेक्षक करेगा और अध्यक्ष के माध्यम से कार्य की प्रगति से बोर्ड को समय-समय पर अवगत कराएगा ;

(4) ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियम, 1981 के नियम 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड की विभिन्न इकाइयों को बजट व्यवस्थाओं के संदर्भ में अनुदान का उचित संवितरण करने तथा व्यय की प्रगति का निरीक्षण करने और यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अनुदान का ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियम, 1981 के उपबंधों के अनुरूप उचित रूप से उपयोग किया गया है ;

(5) मुख्य इंजीनियर और उसके कार्यालय में उसके अधीनस्थ सभी अन्य अधिकारियों पर पूर्ण तकनीकी और पर्यवेक्षी नियंत्रण रखेगा ;

(6) उन शक्तियों का, जिसके अंतर्गत वित्तीय और अनुशासनिक शक्तियां भी हैं, जो बोर्ड द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित की जाएँ, प्रयोग करेगा ;

(7) मुख्य इंजीनियरों, उप-मुख्य इंजीनियरों, अधीक्षण इंजीनियरों के स्थानांतरण और तैनाती के लिए, जैसा बोर्ड के कार्यचालन के हित में आवश्यक समझा जाए, अध्यक्ष को लिखित रूप में सिफारिश करेगा ।

(8) बोर्ड के कार्यचालन के हित में समूह "क" कर्मचारियों के स्थानांतरण और उन्हें तैनात करने संबंधी शक्तियों का प्रयोग करेगा ; और

(9) बोर्ड के कार्यचालन के हित में समूह "ख", समूह "ग" और समूह "घ" कर्मचारियों के स्थानांतरण और उन्हें तैनात करने संबंधी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

सं 23/17/90-स.न.जा./पू.न. 1635
हरभगवान खेटवाणी, अवर सचिव

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART - II - SEC. V SUB. SEC - (i)
Appearing on Page No. 583-584
Dated 2-3-96
जल संसाधन मंत्रालय
MINISTRY OF WATER RESOURCES

(ई.आर. विंग)
नई दिल्ली, 16 फरवरी,1996

सा.का.नि. 112- केन्द्रीय सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम,1980 (1980 का 46) की धारा 28 की उपधारा (2)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- 1. इन नियमें का संक्षिप्त नाम ब्रह्मपुत्र बोर्ड (स्थायी समिति) नियम,1996 है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) "अधिनियम" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 180 (1980 का 46) अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित ब्रह्मपुत्र बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "मास्टर प्लान" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार किया गया मास्टर प्लान अभिप्रेत है ;

(घ) "अध्यक्ष" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) "उपाध्यक्ष" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(च) महा प्रबंधक से बोर्ड का महाप्रबंधक अभिप्रेत है ;

(छ) "वित्तीय सलाहकार" से बोर्ड का वित्तीय सलाहकार अभिपेत है ;

(ज) "सदस्य" से सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग अभिप्रेत है ;

(झ) "सचिव असम सरकार" से सचिव, असम सरकार, बाढ नियंत्रण विभाग अभिप्रेत है ।

3. सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में है ।

4. स्थायी समिति की संरचना - स्थायी समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. बोर्ड का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष
2. सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार - सदस्य
4. सचिव, असम सरकार - सदस्य
5. महा प्रबंधक - सदस्य (संयोजक)

5. स्थायी समिति के कर्त्तव्य, शक्तियां और कृत्य :-

स्थायी समिति -

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट आवंटन के मुकावले में प्रस्थापित सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए बोर्ड द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्य योजना की परीक्षा करेगी और समुचित रूप से कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को सलाह देगी ।

(ख) बोर्ड द्वारा विनिश्चित मास्टर प्लानों बहुउद्देशीय परियोजनाओं जल निकास विकास स्कीमों तथा अन्य संकमों की तैयारी के लिए किए जाने वाले विभिन्न अन्वेषणों और अध्ययनों के संबंध में बोर्ड को सलाह देगी ।

(ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बोर्ड की रूपरेखा के अधीन किए जाने वाले संकमों की पूर्विकता का विश्चिय करेगी ।

(घ) ऊपद (ख) और (ग) में यथाविनिर्दिष्ट अध्ययनों, अन्वेषणों या संकर्मो के लिए समय विरचना उपदर्शित करेगी ।

(ङ) स्थायी समिति के विनिश्चय/अनुमोदन इसके अनुसमर्थन के लिए अव्यवहित अगली बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा ।

(च) वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगी और उनके दिन प्रनिदिन के क्रियाकलाप के लिए बोर के क्षेत्र कार्यालय में विभिन्न कार्यपालक कृत्यकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करेगी ।

(सं. 23/4/96 - ई.आर.)
हरभगवान खेटवाणी, अवर सचिव